राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-1(05)लेखा/रा. रि./2021-22/1958-2616 दिनांक : 25.02.2022

~:~ परिपत्र ~:~

विषय :- न्यायालय शुल्क मुद्रांक(Court Fees Stamp) के प्रतिदाय (Refund) की प्रक्रिया के सम्बंध में।

इस विभाग की जानकारी में आया है कि न्यायालय शुल्क के रिफण्ड के मामलो में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा अपने अधिकारिता से बाहर जाकर रिफण्ड की कार्यवाही की जा रही है, जो नियमानुसार सही नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन नियम, 1961(THE RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION RULES, 1961) के नियम 27(1) के अन्तर्गत कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये केवल जिला कलेक्टर ही अधिकृत है। इस विभाग की जानकारी में लाया गया है कि न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के वृत्त कार्यालयों को प्रकरण प्रेषित कर रिफण्ड करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं, जबकि कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के सम्बंध में पूर्व में भी इस विभाग के परिपत्र संख्या 03/2011, क्रमांक-एफ-7(109)जन/2011/6303 दिनांक 30.03.2011 के बिन्दु संख्या 4 में तथा परिपत्र संख्या 20/2015 के बिन्दु संख्या 10 में यह स्पष्ट किया गया है कि **"राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन नियम, 1961 के नियम 27(1) के अन्तर्गत केवल जिला कलेक्टर ही कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये अधिकृत है। ऐसे मामले में कलक्टर(मुद्रांक) के द्वारा रिफण्ड की कार्यवाही नहीं की जावे।"** उक्त निर्देश वित्त (कर) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(5)वित्त/कर/03 दिनांक 24.06.2003 के द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर इस विभाग को प्रेषित मार्गदर्शन अनुसार जारी किया गया था। इसी प्रकार राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(32)वित्त/कर/06 दिनांक 07.03.2007 से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के मामलों में कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से किये जाने के सम्बंध में स्पष्ट किया गया है।

न्याय शुल्क के रिफण्ड एवं न्याय शुल्क से सम्बंधित समस्त प्रकरणों में चालान डिफेस वाटरमार्क हटाने हेतु जिला कलक्टर द्वारा ही अपनी स्पष्ट अभिशंषा ई-कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अतः भविष्य में न्यायालय शुल्क के ऐसे प्रकरण पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को प्रेषित नहीं किये जावे।

कोषाधिकारी द्वारा न्यायालय शुल्क के चालानों के विरूद्ध न्यायिक स्टाम्प जारी करने से पूर्व चालानों को डिफेस करने की कार्यवाही की जायेगी तथा न्यायालय शुल्क के चालानों को डिफेस करने का कार्य उप पंजीयकों द्वारा नहीं किया जायेगा।

अतः भविष्य में उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय फीस के रिफण्ड/डिफेस हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1/12/22

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांकः एफ–1(05)लेखा/रा. रि./2021–22/1958-2616 दिनांक : 25.02.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर।
5. महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षैत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005
6. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि न्यायिक मुद्रांक शुल्क रिफण्ड हेतु आवेदन प्राप्त नहीं करें।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान मय ई–कोषाधिकारी, जयपुर।
9. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि न्यायालय शुल्क से संबंधित चालानों को आपके कार्यालय से डिफेस नहीं किया जावें।
10. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
11. समस्त शाखाऍ, मुख्यालय, अजमेर।

1/2/22

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर